

सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान

(चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार)

हरियाणा के अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर बलदेव राज काम्बोज के मार्ग-दर्शन तथा विस्तार शिक्षा निदेशक डॉ बलवान सिंह मण्डल के दिशा निर्देशानुसार 2024 वर्ष के दौरान निम्नलिखित पाँच दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षणों का आयोजन करने जा रहा है जैसे कि “फल व सब्जी परिरक्षण, नर्सरी रेजिंग, बेकरी, दुग्ध एवं इसके मूल्य-संवर्धित उत्पाद और कटाई एवं सिलाई” । जो भी हरियाणा के अनुसूचित जाति /जनजाति के बेरोजगार और जरूरतमन्द विशेषकर ग्रामीण युवक या युवती यह प्रशिक्षण लेना चाहते हैं वो गेट नंबर 3, लुद्दास रोड़ के नजदीक सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार मे आकर आवेदन कर सकते हैं। इन प्रशिक्षणों के लिए आवेदक की उम्र प्रमाण-पत्र के अनुसार 18 से कम नहीं होनी चाहिए और वो किसी स्कूल मे अध्ययनरत नहीं होना चाहिए । विकलांग, विधवा, तलाकशुदा इत्यादि उम्मीदवारों को चयनित कमेटी द्वारा वरीयता दी जाएगी। आवेदन फॉर्म 31 जुलाई 2024 तक किसी भी कार्य दिवस को सुबह 7 बजे से दोपहर दोपहर 2.00 तक जमा करवा सकते है। चयनित प्रतिभागियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद हरियाणा सरकार की स्कीम के तहत खुद का रोजगार शुरू करने के लिए सहायता सामग्री देने का भी प्रावधान है। फॉर्म में सही विवरण न भरने या अधूरा छोड़ने या कोई आवश्यक दस्तावेज न लगाने की अवस्था में आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन फॉर्म के साथ इन संव्यम सत्यापित दस्तावेजों की प्रति को संलग्न करना अति आवश्यक है जैसे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, आयु के लिए कोई भी हरियाणा सरकार द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र, हरियाणा सरकार द्वारा जारी अनुसूचित-जाति/जन-जाति प्रमाण-पत्र, आधार-कार्ड, संव्यम सत्यापित नवीनतम रंगीन फोटो, सक्रिय बैंक अकाउंट की कॉपी के पहले पृष्ठ की प्रति जिस पर खाताधारक और बैंक का विवरण दिया हो इत्यादि। फॉर्म भरने से पहले ध्यान दिया जाए कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार किसी भी सदस्य ने इससे पहले इस विश्वविद्यालय या इसके संबन्धित हरियाणा के किसी भी कृषि विज्ञान केन्द्रों/संस्थानों से अनुसूचित जाति/जन जाति के लोगों के लिए सहायता प्राप्त स्कीम के तहत किसी भी तरह का प्रशिक्षण

न किया हुआ हो और इस संबंध में उम्मीदवार को एक अंडर-टेकिंग इस संस्थान में देनी होगी। आवेदक को निर्धारित फॉर्म

भर कर ही खुद के हस्ताक्षर करने होंगे वरना उम्मीदवार का फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा।

दिनांक : 19. 7. 2024

डॉ. ए.के. गोदारा

सह: निदेशक (प्रशिक्षण),

एस. एन. आई. ए. टी. टी. ई.,

CC:

हिसार

- 1 विस्तार शिक्षा निदेशक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
- 2 मीडिया सलाहकार, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (सूचना का अखबारों के द्वारा संचार)
- 3 कम्प्युटर विभागाध्यक्ष, COBS&H, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर डालने के लिए)।

सायना नेहवाल कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशिक्षण एवं शिक्षा संस्थान

(चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार)

हरियाणा के अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षणों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण की सूचना

(आवेदन फॉर्म 31 जुलाई 2024 तक किसी भी कार्य दिवस को 7 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक जमा करवा सकते हैं)

क्रमांक नंबर	प्रशिक्षण का शीर्षक	प्रशिक्षणों की संख्या	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या प्रति प्रशिक्षण
1	फल व सब्जी परिरक्षण	02	30
2	नर्सरी रेजिंग	01	30
3	बेकिंग से विशेषकर मिल्लेट्स के मूल्य संवर्धित उत्पाद	02	30
4	कटाई एवं सिलाई	02	30